

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक: 27/04/2023

क्रमांक 2123 /टीसी/15/भोपाल/उपां/नग्रानि/2023 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	नजूल बटांकन आदेश अनुसार खसरा क्रमांक	राजस्व अभिलेख में कुल रकबा (हेक्टे.)	आवेदित रकबा (हेक्टे.)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग	
1	शहर भोपाल (प्रोफेसर कॉलोनी)	1382/2	2.091	1.350	1.350	आवासीय / अमोद प्रमोद के अन्तर्गत नगरीय वन/ वृक्षारोपण	वाणिज्यिक	
				0.741	0.741		अमोद प्रमोद के अन्तर्गत नगरीय वन/ वृक्षारोपण	
2		1383/1	0.899	0.899	0.899	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	
3		1383/3	0.127	0.127	0.127	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	
4		1384	2.489	2.489	2.489	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	
5		1385	0.474	0.474	0.474	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	
6		1386/1	0.684	0.200	0.200	आवासीय	वाणिज्यिक	
7		1386/3	0.977	0.977	0.977	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	
8		1387/2	0.423	0.100	0.100	0.100	आवासीय	वाणिज्यिक
					0.323	0.323	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
9	1873/1383/1	0.632	0.632	0.632	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक		
10	1977/1383/2	0.025	0.025	0.025	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक		
कुल रकबा			8.821	8.821	8.337			

नोट:-

1. आवेदित रकबा 8.821 हेक्टेयर में से रकबा 0.484 हेक्टेयर का निर्दिष्ट भूमि उपयोग आवासीय होने के कारण शेष भूमि रकबा 8.337 हेक्टेयर में से रकबा 1.650 हेक्टेयर भूमि का वाणिज्यिक भूमि उपयोग, रकबा 5.946 हेक्टेयर भूमि का सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग में उपांतरण प्रस्तावित है एवं रकबा 0.741 हेक्टेयर भूमि का भूमि उपयोग आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत नगरीय वन / वृक्षारोपण यथावत रखा गया है।

शर्त :-

1. प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर एवं पूर्व दिशा में विद्यमान छोटे तालाब के अधिकतम जलभराव क्षेत्र (एफ.टी.एल.) से भोपाल विकास योजना, 2005 की कंडिका क्रमांक 4.47 ए में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 33.00 मीटर भूमि खुले क्षेत्र के रूप में रखी जाना अनिवार्य होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
2. म0प्र0गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के प्रस्ताव अनुसार रेतघाट से न्यू मार्केट मुख्य मार्ग के मध्य प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा।
3. प्रश्नाधीन भूमि भोपाल विकास योजना, 2005 के उप नगर दो के अन्तर्गत स्थित है अतः भवन की उंचाई के संबंध में भोपाल विकास योजना 2005 एवं मध्य प्रदेश राजपत्र 25/01/2013 के प्रावधान मान्य होंगे।
4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।
5. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा वेबसाइट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल